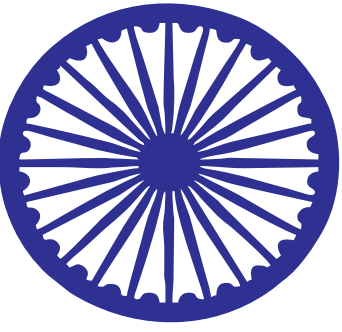




नवसर्जन संस्कृति

PRGI No. GJHIN/25/A2786

नवसर्जन संस्कृति

PUBLISHED HIINDI DAILY FROM AHMEDABAD

वर्ष : 01

अंक : 278

दि. 11.07.2026,

शनिवार

पाना : 04

किंमत : 00.50 पैसा

बच्चों के यौन शोषण के मामलों में चुप्पी भी अपराध, सुप्रीम कोर्ट का सख्त संदेश; शिकायत दबाने वाले स्कूल अधिकारियों पर भी होगी कार्रवाई

नई दिल्ली : बच्चों के यौन शोषण से जुड़े मामलों में स्कूलों और अन्य संस्थानों की जिम्मेदारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि यदि किसी स्कूल अधिकारी, प्रधानाध्यापक, शिक्षक या संस्थान के जिम्मेदार व्यक्ति को किसी बच्चे के साथ यौन शोषण की जानकारी मिलती है, तो वह स्वयं जांच कर मामले को समाप्त नहीं कर सकता। अदालत ने कहा कि ऐसी शिकायत मिलने पर कानून के अनुसार संबंधित पुलिस अथवा विशेष प्राधिकरण को तत्काल सूचना देना अनिवार्य है। यदि कोई अधिकारी ऐसा नहीं करता और मामले को दबाने या स्वयं जांच कर निपटाने का प्रयास करता है, तो वह भी पॉक्सो (POCSO) अधिनियम के तहत आपराधिक दायित्व का भागीदार माना जाएगा।

सर्वोच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन

की पीठ ने यह टिप्पणी एक ऐसे मामले की सुनवाई के दौरान की, जिसमें एक स्कूल की प्रधानाध्यापिका पर आठ वर्षीय छात्रा के साथ हुए कथित यौन शोषण की शिकायत को पुलिस तक न पहुंचाकर स्वयं जांच करने और मामले को दबाने का आरोप था। अदालत ने इस मामले में प्रधानाध्यापिका को आरोपमुक्त किए जाने के पूर्व आदेश को रद्द करते हुए स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में संस्थान के अधिकारी अपनी कानूनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते।



व्यवस्था इसलिए बनाई गई है ताकि पीड़ित बच्चे को तत्काल सुरक्षा, चिकित्सीय सहायता और न्यायिक प्रक्रिया उपलब्ध कराई जा सके। अदालत ने कहा कि इस कानूनी दायित्व की अनदेखी करना केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं बल्कि कानून का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि कोई अधिकारी इस अनिवार्य रिपोर्टिंग से बचता है, तो पॉक्सो अधिनियम की धारा 21 के तहत उसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई

की जा सकती है। इस प्रावधान के अंतर्गत दोषी पाए जाने पर छह महीने तक के कारावास, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। अदालत ने कहा कि इस कानून का उद्देश्य केवल अपराधियों को दंडित करना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि किसी भी स्तर पर अपराध को छिपाने या दबाने की कोशिश न हो। यह मामला उस समय सामने आया जब एक आठ वर्षीय छात्रा की मां ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर निचली

अदालत और गुवाहाटी हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी, जिसमें स्कूल की प्रधानाध्यापिका, प्रिंसिपल, शिक्षक और हॉस्टल वार्डन सहित कई अधिकारियों को आरोपमुक्त कर दिया गया था। याचिका में कहा गया कि संबंधित अधिकारियों ने कानून के अनुरूप पुलिस को सूचना देने के बजाय स्वयं मामले की जांच करने का निर्णय लिया, जिससे न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित हुई। मामले के अनुसार, पीड़ित बच्ची ने आरोप लगाया था कि स्कूल के आठवीं कक्षा के एक छात्र ने उसके साथ यौन शोषण किया। बच्ची ने इस घटना की जानकारी सबसे पहले अपनी बहन और बाद में स्कूल की प्रधानाध्यापिका को दी। शिकायत मिलने के बाद प्रधानाध्यापिका ने कानून के अनुसार पुलिस में मामला दर्ज कराने के बजाय स्वयं आरोपी छात्र से पूछताछ की। आरोपी छात्र ने आरोपों से इनकार कर दिया, जिसके आधार पर

प्रधानाध्यापिका ने निष्कर्ष निकाल लिया कि कोई घटना नहीं हुई है। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया कि प्रधानाध्यापिका ने न केवल मामले की सूचना पुलिस को नहीं दी, बल्कि अन्य छात्रों को भी इस घटना के बारे में किसी से चर्चा न करने का निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने इस पहलू को गंभीर मानते हुए कहा कि ऐसे मामलों में संस्थान के अधिकारी जांच एजेंसी की भूमिका नहीं निभा सकते। उनका दायित्व केवल शिकायत प्राप्त होने पर कानून के अनुसार संबंधित एजेंसियों को सूचना देना है। अदालत ने कहा कि बच्चों से जुड़े यौन अपराध अत्यंत संवेदनशील होते हैं और अक्सर पीड़ित बच्चे भय, शर्म या मानसिक दबाव के कारण खुलकर अपनी बात नहीं कह पाते। ऐसे में यदि जिम्मेदार अधिकारी शिकायत को गंभीरता से लेने के बजाय स्वयं उसका मूल्यांकन करने लगे, तो इससे न केवल सूक्ष्मों के प्रभावित होने की

आशंका रहती है बल्कि पीड़ित को न्याय मिलने में भी बाधा उत्पन्न हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी रेखांकित किया कि पॉक्सो कानून का उद्देश्य बच्चों के सर्वोत्तम हितों की रक्षा करना है। इसलिए किसी भी संस्थान, विशेषकर स्कूलों, छात्रावासों और बाल संरक्षण से जुड़े संगठनों के अधिकारियों को इस कानून के प्रावधानों की पूरी जानकारी होनी चाहिए और शिकायत मिलने पर तत्काल वैधानिक प्रक्रिया अपनानी चाहिए। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी भी अधिकारी का व्यक्तिगत आकलन, आंतरिक जांच या आरोपी के बयान के आधार पर शिकायत को खारिज करना कानूनन स्वीकार्य नहीं है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला देशभर के स्कूलों, शिक्षण संस्थानों और बाल संरक्षण से जुड़े संगठनों के लिए एक महत्वपूर्ण नज़ीर साबित होगा। इससे यह स्पष्ट संदेश गया है कि बच्चों के यौन

शोषण के मामलों में केवल अपराध करना ही दंडनीय नहीं है, बल्कि शिकायत मिलने के बाद उसे दबाना, रिपोर्ट न करना या स्वयं निर्णय लेकर मामले को समाप्त करने का प्रयास भी कानून की नजर में गंभीर अपराध है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को बाल अधिकारों की सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस संबंध में कानून द्वारा निर्धारित अनिवार्य रिपोर्टिंग व्यवस्था का पालन हर संस्था और अधिकारी के लिए बाध्यकारी है। यदि कोई अधिकारी इस जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करता है, तो उसे भी कानूनी परिणाम भुगतने होंगे। यह निर्णय भविष्य में ऐसे मामलों में जवाबदेही तय करने और बच्चों के अधिकारों की प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मिसाल माना जा रहा है।

द्रमुक-कांग्रेस गठबंधन पर वीसीके प्रमुख का भरोसा, मतभेदों की अटकलों को किया खारिज; भाजपा पर साधा निशाना

चेन्नई : तमिलनाडु की राजनीति में द्रविड़ मुनेत्र कडगम (द्रमुक) और उसके सहयोगी दलों के बीच मतभेदों की अटकलों के बीच विद्रुहलाई चिन्मयल कान्ची (वीसीके) के अध्यक्ष थोल तिरुमावलवन ने शुक्रवार को स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि द्रमुक एक अनुभवी और परिपक्व राजनीतिक दल है, जो राष्ट्रीय हितों और राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उचित समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि द्रमुक और कांग्रेस के बीच किसी प्रकार की दूरी की बात करना जल्दबाजी होगी और तमिलनाडु में धर्मनिरपेक्ष गठबंधन पूरी तरह एकजुट है। तिरुमावलवन ने कहा कि द्रमुक की राजनीतिक विरासत लंबी और मजबूत रही है तथा पार्टी नेतृत्व को यह भरोसा है कि किस समय कोन-सा निर्णय लेना देश और राज्य के हित में होगा। उनके अनुसार, द्रमुक का हर महत्वपूर्ण राजनीतिक फैसला व्यापक राष्ट्रीय हितों और लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्यान में रखकर लिया जाता है। उन्होंने विश्वास जताया कि भविष्य में भी पार्टी ऐसे ही निर्णय लेगी, जिससे विश्वी एकजुटता को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि फिलहाल ऐसा कोई संकेत नहीं है जिससे यह माना जा कि द्रमुक ने कांग्रेस या विपक्षी इंडिया गठबंधन के खिलाफ कोई



राजनीतिक रुख अपनाया है। तिरुमावलवन ने कहा कि किसी बैठक में शामिल न होना या किसी कार्यक्रम से अनुपस्थित रहना यह साबित नहीं करता कि गठबंधन में दरार आ गई है। उनके अनुसार, अब तक द्रमुक नेतृत्व ने सार्वजनिक रूप से इंडिया गठबंधन के खिलाफ कोई बयान या कदम नहीं उठाया है। वीसीके प्रमुख का यह बयान ऐसे समय आया है जब उन्होंने तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के प्रमुख के साथ मुलाकात की। उन्होंने इस मुलाकात को सामान्य शिष्टाचार बत बताते हुए कहा कि इसका उद्देश्य विश्वी दलों के बीच संवाद बनाए रखना और इंडिया गठबंधन को और मजबूत करना था। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस बैठक को किसी नए राजनीतिक

समीकरण या गठबंधन में बदलाव के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। द्रमुक और वीसीके के बीच मतभेदों की चर्चाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए तिरुमावलवन ने कहा कि सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर किसी प्रकार का वैचारिक या राजनीतिक विवाद नहीं है। उन्होंने कहा कि गठबंधन में शामिल सभी दल समान संघ और साझा उद्देश्यों के साथ कार्य कर रहे हैं तथा आपसी सहयोग पहले की तरह कायम है। उन्होंने कहा कि गठबंधन को लेकर फैल रही अफवाहों का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में राष्ट्रीय स्तर पर लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष शक्तियों की एकजुटता

आवश्यक है। उनके अनुसार, भारतीय जनता पार्टी का प्रभावी मुकाबला करने के लिए कांग्रेस के नेतृत्व में व्यापक विपक्षी एकता की जरूरत है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था और संविधान की मूल भावना की रक्षा के लिए सभी समान विचारधारा वाले दलों को मिलकर काम करना चाहिए। तिरुमावलवन ने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह तमिलनाडु की पारंपरिक क्षेत्रीय राजनीति को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। उनके अनुसार, भाजपा राज्य में द्रमुक और अन्नाद्रमुक जैसी प्रमुख क्षेत्रीय पार्टियों के राजनीतिक प्रभाव को कम करना चाहती है। उन्होंने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक दलों के बीच एकजुटता पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। राजनीतिक विरोधकों का मानना है कि तिरुमावलवन का यह बयान तमिलनाडु की राजनीति में गठबंधन को गठबंधन में शामिल सभी दल समान संघ और साझा उद्देश्यों के साथ कार्य कर रहे हैं तथा आपसी सहयोग पहले की तरह कायम है। उन्होंने कहा कि गठबंधन को लेकर फैल रही अफवाहों का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में राष्ट्रीय स्तर पर लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष शक्तियों की एकजुटता

तिरुवनंतपुरम : भगवान अय्यप्पा के विश्व प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर में इस वर्ष तीर्थयात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन को पहले से अधिक आधुनिक बनाने की तैयारी की गई है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए त्रावणकोर देवासम बोर्ड (टीडीबी) ने इस बार तकनीक आधारित कई महत्वपूर्ण सुधार लागू करने का निर्णय लिया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) की मदद से भीड़ की निगरानी, ऑनलाइन कमरा बुकिंग का विस्तार, आधुनिक नियंत्रण कक्ष, बेहतर स्वच्छता व्यवस्था और तीर्थयात्रियों के लिए अतिरिक्त सुविधाएं इस नई व्यवस्था का प्रमुख हिस्सा होंगी। बोर्ड का उद्देश्य तीर्थयात्रा को अधिक सुरक्षित, व्यवस्थित और सुविधाजनक बनाना है। त्रावणकोर देवासम बोर्ड के अध्यक्ष के. जयकुमार ने बताया कि इस बार मंदिर परिसर और तीर्थयात्रा के संचालन में तकनीक का व्यापक उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस वर्ष 'अय्यप्पा संगमम' कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा। उनके अनुसार भगवान अय्यप्पा की महिमा और आस्था को किसी प्रकार अभियान की आवश्यकता नहीं है। इसलिए बोर्ड ने अपना पूरा ध्यान श्रद्धालुओं को

बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और तीर्थयात्रा व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने पर केंद्रित किया है। इस वर्ष श्रद्धालुओं के लिए सबसे बड़ी राहत आवास सुविधा को लेकर दी गई है। सन्निधानम में उपलब्ध 690 कमरों में से पहले केवल 190 कमरों की ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 550 कमरे कर दिया गया है। इससे बड़ी संख्या में श्रद्धालु यात्रा से पहले ही अपने ठहरने की व्यवस्था सुनिश्चित कर सकेंगे और मौके पर लंबी कतारों या अनिश्चितता का सामना नहीं करना पड़ेगा। देवासम बोर्ड ने ऑनलाइन बुकिंग और सन्निधानम में अत्याधुनिक एआई कंट्रोल रूम स्थापित किए जाएंगे। इन नियंत्रण कक्षों से श्रद्धालुओं की आवाजाही, भीड़ का घनत्व और विभिन्न मार्गों की स्थिति पर वास्तविक समय में निगरानी रखी जाएगी। यदि किसी स्थान पर भीड़ अत्यधिक बढ़ती है या किसी प्रकार की देकर ऑनलाइन बुकिंग करानी होगी। इससे प्रक्रिया अधिक सरल और पारदर्शी बनने की उम्मीद है। कमरों की स्वच्छता और रखरखाव को बेहतर बनाने के लिए बोर्ड ने नई व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। अब इन कमरों की साफ-सफाई और रखरखाव का

कार्य एक पेशेवर आउटसोर्स एजेंसी को सौंपा जाएगा, ताकि तीर्थयात्रियों को बेहतर गुणवत्ता की सेवाएं मिल सकें। इसके अलावा बढ़ती मांग को देखते हुए सबरी गेट हाउस में 60 नए कमरों के निर्माण की भी योजना तैयार की गई है। इसके लिए आवश्यक कानूनी और प्रशासनिक मंजूरी, जिसमें उच्च न्यायालय और संबंधित उच्चाधिकार समिति की स्वीकृति भी शामिल है, प्राप्त की जाएगी। भीड़ प्रबंधन को आधुनिक बनाने के लिए इस बार कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित निगरानी प्रणाली लागू की जाएगी। तीर्थयात्रा के दौरान मुख्यालय और सन्निधानम में अत्याधुनिक एआई कंट्रोल रूम स्थापित किए जाएंगे। इन नियंत्रण कक्षों से श्रद्धालुओं की आवाजाही, भीड़ का घनत्व और विभिन्न मार्गों की स्थिति पर वास्तविक समय में निगरानी रखी जाएगी। यदि किसी स्थान पर भीड़ अत्यधिक बढ़ती है या किसी प्रकार की देकर ऑनलाइन बुकिंग करानी होगी। इससे प्रक्रिया अधिक सरल और पारदर्शी बनने की उम्मीद है। कमरों की स्वच्छता और रखरखाव को बेहतर बनाने के लिए बोर्ड ने नई व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। अब इन कमरों की साफ-सफाई और रखरखाव का

होगी, तीर्थयात्रियों की आवाजाही सुचारु रहेगी और आपातकालीन सेवाओं को भी तेजी से सक्रिय किया जा सकेगा। विशेष रूप से त्योहारों और मकरविलक्कु जैसे गेस्ट हाउस में 60 नए कमरों के निर्माण की भी योजना तैयार की गई है। इसके लिए आवश्यक कानूनी और प्रशासनिक मंजूरी, जिसमें उच्च न्यायालय और संबंधित उच्चाधिकार समिति की स्वीकृति भी शामिल है, प्राप्त की जाएगी। भीड़ प्रबंधन को आधुनिक बनाने के लिए इस बार कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित निगरानी प्रणाली लागू की जाएगी। तीर्थयात्रा के दौरान मुख्यालय और सन्निधानम में अत्याधुनिक एआई कंट्रोल रूम स्थापित किए जाएंगे। इन नियंत्रण कक्षों से श्रद्धालुओं की आवाजाही, भीड़ का घनत्व और विभिन्न मार्गों की स्थिति पर वास्तविक समय में निगरानी रखी जाएगी। यदि किसी स्थान पर भीड़ अत्यधिक बढ़ती है या किसी प्रकार की देकर ऑनलाइन बुकिंग करानी होगी। इससे प्रक्रिया अधिक सरल और पारदर्शी बनने की उम्मीद है। कमरों की स्वच्छता और रखरखाव को बेहतर बनाने के लिए बोर्ड ने नई व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। अब इन कमरों की साफ-सफाई और रखरखाव का

सुरत खाड़ी में आई बाढ़: 500 करोड़ रुपये के पैकेज के बावजूद, स्थायी समाधान कब निकलेगा? सरकार के सामने कई सवाल हैं

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सुरत। सुरत के विधायक से लेकर गुजरात के गृह मंत्री और अब उपमुख्यमंत्री तक, उपमुख्यमंत्री के रूप में सत्ता की गद्दी पर विराजमान हर्ष संघवी सुरत से हैं और सुरत में खाड़ी की समस्या 20 वर्षों से अधिक समय से अनसुलझी है, और अब, मानसून की शुरुआत में, यह कहना मुश्किल है कि आने वाले दिनों में सुरत की क्या स्थिति होगी। सुरत के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित नालों और छोटी-बड़ी नदियों के आसपास रहने वाले मजदूरों और छोटे-बड़े व्यापारियों को इन नालों में वर्षों से बनी बाढ़ की स्थिति के कारण भारी कठिनाई और नुकसान झेलना पड़ता है, इसके बावजूद गुजरात सरकार या उसके लापरवाह उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी इस नाले की बाढ़ की समस्या को स्थायी रूप से हल करने के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं? जहां एक ओर उपमुख्यमंत्री और उनकी सरकार की गलती के कारण हर साल हजारों लोगों को लाखों का नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि घोड़ा भाग जाने के बाद वे अस्तबल बंद करने गए थे, वहीं इस साल करोड़ों की संपत्ति के नुकसान के साथ-साथ अब तक 40 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें बिजली का झटका लगना, खुले नालों में गिरना, पानी में डूबना और पेड़ गिरने या इमारत की दीवार गिरने से हुई मौतें शामिल हैं। सुरत में 6 और 7 तारीख को हुई भारी बारिश के कारण शॉपिंग सेंटर्स के तहखानों में स्थित दुकानें जलमग्न हो गईं और मोबाइल, साड़ी और रेडीमेड

कपड़ों सहित कई व्यावसायिक दुकानों में पानी घुस गया, जिससे लाखों-करोड़ों रुपये का सामान क्षतिग्रस्त हो गया और व्यापारियों को आर्थिक और मानसिक रूप से भारी नुकसान हुआ। फिर, मानो वे किसी आधिकारिक दौरे पर सुरत आए हों, राज्य के जिम्मेदार मुख्यमंत्री ने मौके का जायजा लेने के बजाय एक गुप्त समीक्षा बैठक बुलाई और 500 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा कर दी, मानो सरकार ने मानो सारा पैसा लुटा दिया हो। लेकिन इसके बारे में कोई विस्तृत जानकारी देने के बजाय, उपमुख्यमंत्री ने सिर्फ सरकार की प्रशंसा करके ही संतोष कर लिया। इसी वजह से 500 करोड़ रुपये के पैकेज के लिए समय सीमा, कार्यान्वयन प्रक्रिया और जिम्मेदारी के बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी गई। साथ ही, वर्षों से बाढ़ का कारण माने जाने वाले नाले पर अवैध दबाव के खिलाफ कब कार्रवाई की जाएगी? इस लापरवाही के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा? क्या प्राणित लोगों को अतिरिक्त सहायता मिलेगी या नहीं? और अगले मानसून से पहले क्या ठोस कदम उठाए जाएंगे? ऐसे सवालों के कोई स्पष्ट और पारदर्शी जवाब नहीं दिए गए। एक तरफ तो राज्य सरकार ने खाड़ी के किनारों पर बने सभी अवैध अतिक्रमणों को हटाने का कड़ा फैसला सुनाया है, वहीं दूसरी तरफ कपड़ा बाजार और झोंगा पालन के तालाब, जिन्हें वर्षों से खाड़ी के प्राकृतिक प्रवाह में बाधा माना जाता रहा है, आज भी मजबूती से खड़े हैं। सरकारी तंत्र इन्हें हटाने में नाकाम रहा है। दूसरी ओर, मुख्यमंत्री जोर-शोर

से कह रहे हैं कि राजनीतिक हस्तक्षेप से कुछ नहीं होगा और पानी के प्रवाह में बाधा डालने वाले सभी अवैध निर्माणों को हटाने के स्पष्ट आदेश का अब तक कितना प्रभावी ढंग से पालन किया जा रहा है? यह तो समय ही बताएगा कि अधिकारी इसे कितनी प्रभावी ढंग से लागू करते हैं। यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि सुरत के लोग पिछले चार दिनों से पानी, कीचड़ और गंदगी के बीच रह रहे हैं, फिर भी प्रभावित क्षेत्रों में जाकर मृतकों के परिवारों को सौत्वना देने के बजाय, गुजरात के मुख्यमंत्री ने सुरत की इस यात्रा को एक प्रतीकात्मक यात्रा मानते हुए अपने कक्ष में बैठकर सुरत में बाढ़ की स्थिति का निरीक्षण और आकलन किया। अब देखना यह है कि अगर बाढ़ राहत कोष पर 500 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद भी बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान नहीं होता है तो क्या होगा? और अंत में, सवाल उठता है: मानसून के अंतर्गत घटी यह घटना आत्महत्या का नासिरनगर में निर्दोष लोगों के 150 घरों को बिना किसी पूर्व सूचना के बुलडोजरों से ध्वस्त करने के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा, जबकि खाड़ी पर वर्षों से चल रहे अवैध अतिक्रमणों को बुलडोजर से हटाया जाना चाहिए था? इसलिए, यह तो समय ही बताएगा कि खाड़ी में बाढ़ नियंत्रण के लिए घोषित 500 करोड़ रुपये से अपने परिवार से और कब लागू किया जाएगा और इससे शहरवासियों को होने वाले नुकसान से कैसे बचाया जाएगा।

मुंबई के घाटकोपर में एक रिक्शा में एक युवक का शव गला घोटकर मारा हुआ मिला, पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है



(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सुरत। मुंबई के घाटकोपर-पश्चिम में एक रिक्शा में एक व्यक्ति मृत पाया गया। पुलिस का मानना है कि पार्क साइट पुलिस स्टेशन के अंतर्गत घटी यह घटना आत्महत्या का मामला है। पुलिस के अनुसार, मृतक का नाम अदनान वलियाणा है और उनकी उम्र 35 वर्ष है। प्रथम दृष्टया, अदनान ने आत्महत्या की प्रतीत होती है। हालांकि, इस मामले में आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया गया है और यह पता लगाने के लिए जांच की जा रही है कि क्या यह वास्तव में आत्महत्या का मामला है। पुलिस ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि अदनान लंबे समय से अपने परिवार से अलग रह रहा था और शराब का आदी हो गया था। उसने इससे पहले भी आत्महत्या करने की बात कही थी।

नवसर्जन संस्कृति

हिन्दी

Jio Air Fiber

Jio Tv +

Jio Fiber

Daily Hunt

ebaba Tv

Dish Plus

DTH live OTT

Rock TV

Airtel

Amezone Fire

Roku Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार प्राप्त करने के लिए आज ही नवसर्जन संस्कृति हिंदी चैनल देखिये



संपादकीय

निजी स्कूलों का सम्मोहन फि़क्र की बात

तमाम विसंगतियों, संसाधनों की कमी, शिक्षकों का पर्याप्त संख्या में न होना तथा समय के साथ कदमताल न कर पाने वाले सरकारी स्कूलों से छात्रों का मोहभंग होना बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। देशभर में स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं, छात्रों के प्रवेश व शिक्षकों के आंकड़ों पर नजर रखने वाले केंद्र के आंकड़ों से पुष्टि हुई कि छात्र सरकारी स्कूलों के विमुख हो रहे हैं और लगातार निजी स्कूलों की ओर रुख कर रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि वही दो सालों में लगभग 86 लाख छात्र सरकारी स्कूल छोड़कर चले गए। वहीं इसी दौरान प्राइवेट तथा बिना सरकारी मदद वाले मान्यता प्राप्त स्कूलों में 88 लाख नए छात्र शामिल हुए हैं। ‘यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस’ के अनुसार शुरुआती कक्षा से सेकेंडरी स्तर तक स्कूल में दाखिले में कमी देखी गई है। जो संख्या साल 2023-24 के 24.8 करोड़ से घटकर साल 2025-26 में 24.72 करोड़ हो गई है। वहीं दूसरी ओर सरकारी स्कूलों में दाखिले तेजी से घटकर 12.75 करोड़ से 11.89 करोड़ हो गए हैं। वैसे ये आंकड़े यह भी बताते हैं कि तमाम कमियों और घटती लोकप्रियता के बावजूद सरकारी स्कूल ज्यादातर लोगों की पहली पसंद बने हुए हैं। निस्संदेह, ऐसे में सरकारों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने के लिये गंभीर प्रयास किए जाएं। यह हकीकत है कि जमीनी स्थिति के आधार पर कहा जा सकता है कि अभी तक अच्छी शिक्षा की गुणवत्ता का वायदा पूरा नहीं हो पाया है। हाल ही में सामने आए आंकड़ों का एक सकारात्मक पक्ष यह है कि सेकेंडरी स्तर पर स्कूल छोड़ने वालों की संख्या में कुछ कमी जरूर आई है। वहीं दूसरी ओर स्कूल दाखिले वाले स्कूलों की संख्या 12,954 से घटकर 5,663 हो गई है। इसके साथ ही एक शिक्षक वाले स्कूलों की संख्या 1.11 लाख से घटकर 1.01 लाख हो गई है। दूसरी तरफ अब शिक्षकों की कुल संख्या 1.03 करोड़ है, जिसके चलते छात्र-शिक्षक अनुपात 25 से घटकर 24 हो गया है। वहीं लड़कियों की भागीदारी भी बढ़कर 48.4 होना उत्साहवर्धक कहा जा सकता है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि स्कूलों में दिव्यांग छात्रों के लिये संरचनात्मक सुविधाएं, छात्राओं के लिये शौचालय, हाथ धोने तथा पीने के पानी की व्यवस्था में उत्साहजनक सुधार हुआ है। हालांकि, जमीनी स्तर पर दावों की हकीकत तार्किक कसौटी पर खरी उतरनी चाहिए। सही मायने में किसी सुविधा का उपलब्ध होना और उसका सही तरीके से इस्तेमाल होना दो अलग चीजें हैं। लेकिन देश के नीति-निर्याताओं को सम्माना चाहिए कि समाज में जिस वर्ग को शिक्षा की अधिक आवश्यकता है, वही सरकारी स्कूलों पर अधिक निर्भर है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग भी अपनी मजबूरी के चलते सरकारी स्कूलों की ओर रुख करता है। इसके बावजूद कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर गाहे-बगाहे सवाल उठाए जाते हैं। सवाल यह भी है कि जब आजादी के बाद संविधान निर्माताओं ने हर बच्चे को अनिवार्य रूप से निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने को कहा था तो आजादी के बाद के शुरुआती दशकों में शिक्षा के ये लक्ष्य हासिल क्यों नहीं किए गए? यदि तब केंद्र व राज्य सरकारों ने सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने के लिये ईमानदार प्रयास किए होते और पर्याप्त वित्तीय साधन उपलब्ध कराये होते तो आज लोगों को सरकारी स्कूलों से मोहभंग न हो रहा होता। यदि संपन्न वर्ग, अधिकारियों के बच्चे और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चे एक साथ सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे होते तो शिक्षा जगत में आज व्याप्त गहरी विसंगति की खाई दूर हो जाती। हमारे तंत्र द्वारा सरकारी स्कूलों में सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रति उदासीनता दिखाने, शिक्षकों को गाहे-बगाहे शै शैक्षिक कार्यों में लगाने और समय रहते पर्याप्त शिक्षकों की नियुक्ति न करने से स्थितियां विकट हुई हैं। यह विडंबना ही कही जाये कि सत्र के दशक में शिक्षा के उन्नयन के लिये गठित कोठारी आयोग की वह सिफारिश आज भी धूल फांक रही है, जिसमें शिक्षा पर देश के जीडीपी का छह प्रतिशत खर्च करने का सुझाव दिया गया था। आर्थिक तंगी से सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता व साथ पर आंच आई है।

अभियान

भारतीय इतिहास में कुछ ऐसे कालखंड हैं, जिन्होंने केवल राजनीतिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और बौद्धिक स्तर पर भी देश की दिशा तय की। मौर्य साम्राज्य का युग ऐसा ही एक स्वर्णिम अध्याय है, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप को पहली बार व्यापक राजनीतिक एका के सूत्र में बांधा और शासन, प्रशासन, संस्कृति तथा लोकजीवन की ऐसी विप्लव छड़ी, जिसकी गूँज आज भी भारतीय इतिहास में स्पष्ट रूप से सुनाई देती है। चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर सम्राट अशोक तक फैला यह काल केवल साम्राज्य विस्तार का इतिहास नहीं है, बल्कि यह उस समाज की कहानी भी है जिसने विविधता के बीच समन्यय, संगठन और सांस्कृतिक समृद्धि का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। इसी ऐतिहासिक विरासत को जनसामान्य के जीवन के संदर्भ में समझना एक गंभीर प्रयास प्रसिद्ध इतिहासकार इरफ़ान हबीब और विवेकानंद झा ने अपनी पुस्तक के माध्यम से किया है। ‘भारत का लोक इतिहास’ श्रृंखला की यह कृति मौर्यकाल को केवल राजाओं और युद्धों के दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि आम जनता की जीवनशैली, सामाजिक संरचना, आर्थिक गतिविधियों और सांस्कृतिक चेतना के आधार पर समझने का अवसर प्रदान करती है। इतिहास की सामान्य पुस्तकों में प्रायः राजवंशों, युद्धों, विजयों और राजनीतिक घटनाओं को प्रमुखता दी जाती है। परिणामस्वरूप आम लोगों

सिंधु की धारा में मौन सिसकी की आहट

सिंधु बेसिन पहले ही विश्व के सर्वाधिक जल तनाव वाले नदी तंत्रों में शामिल है, और आगामी दशकों में यह संकट करोड़ों लोगों के अस्तित्व को दांव पर लगा सकता है।

प्रेरणा

इतिहास में कुछ घटनाएँ ऐसी होती हैं जो आकार में छोटी दिखाई देती हैं, लेकिन उनके भीतर छिपा संदेश पीढ़ियों तक समाज का मार्गदर्शन करता रहता है। किसी व्यक्ति का वास्तविक व्यक्तित्व उसके पद, प्रतिक्रिया या लोकप्रियता से नहीं, बल्कि उन निर्णयों से पहचाना जाता है जो वह कठिन परिस्थितियों में लेता है। जब व्यक्तिगत लाभ और नैतिक मूल्यों के बीच चुनाव करने का समय आता है, तब बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो बिना किसी हिचकिचाहट के अपने सिद्धांतों का साथ देते हैं। हिंदी साहित्य के महान कथाकार फणीश्वरनाथ रेणु ऐसे ही व्यक्तित्व थे, जिन्होंने यह सिद्ध किया कि लेखकों की सबसे बड़ी पूँजी उसकी कलम नहीं, बल्कि उसका स्वाभिमान और उसका विवेक होता है। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि साहित्य केवल विचारों का सृजन नहीं करता, बल्कि जीवन के माध्यम से उन विचारों को सत्य भी साबित करता है। फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म बिहार के अररिया जिले के एक साधारण ग्रामीण परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्होंने गाँवों का संघर्ष, किसानों की मेहनत, सामाजिक असमानता और आम लोगों की कठिनाइयों को बहुत निकट से देखा। यही अनुभव आज चलकर उनके साहित्य में जगमगा रही शक्ति बने। उन्होंने अपने लेखन में भारत के उस वास्तविक चेहरे को प्रस्तुत किया जो महानरों की चमक से दूर था, लेकिन जीवन की सच्चाइयों से भरपूर था। उनके उपन्यास और कहानियाँ केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं बने, बल्कि उन्होंने भारतीय समाज की आत्मा को शब्द दिए। उनकी प्रसिद्ध कृति मैला आँचल आज भी हिंदी साहित्य की कालजयी रचनाओं में गिनी जाती है और उन्हें आँचलिक साहित्य का सबसे सशक्त

जब अंतरात्मा ने कहा—सम्मान से बड़ा है स्वाभिमान

हस्ताक्षर माना जाता है। रेणु केवल साहित्यकार नहीं थे, बल्कि सामाजिक चेतना से जुड़े हुए व्यक्ति भी थे। स्वतंत्रता आंदोलन की विचारधारा और लोकतांत्रिक मूल्यों में उनका गहरा विश्वास था। वे मानते थे कि लेखक का दायित्व केवल घटनाओं का वर्णन करना नहीं, बल्कि समाज के पक्ष में खड़ा होना भी है। उनकी रचनाओं में गाँव, किसान, मजदूर, गरीब और वंचित वर्ग के जीवन का जो सजीव चित्र मिलता है, वह उनकी सामाजिक संवेदनशीलता का प्रमाण है। यही कारण था कि वे जनता के लेखक कहलाए। उनके साहित्यिक योगदान को सम्मान देते हुए वर्ष 1972 में तत्कालीन बिहार सरकार ने उन्हें प्रतिमाह तीन सौ रुपये की आर्थिक वृत्ति देने का निर्णय लिया। उस समय यह राशि किसी साहित्यकार के लिए सम्मानजनक सहयोग मानी जाती थी। यह केवल आर्थिक सहायता नहीं थी, बल्कि राज्य द्वारा उनके साहित्यिक योगदान की औपचारिक स्वीकृति भी थी। रेणु ने इसे किसी विशेष अधिकार की तरह नहीं, बल्कि सम्मान के रूप में स्वीकार किया। लगभग दो वर्षों तक यह सहायता उन्हें नियमित रूप से मिलती रही और उन्होंने कभी इसके लिए किसी प्रकार की अपेक्षा या आह्वान नहीं रखा। इसी बीच बिहार की राजनीति में व्यापक हलचल शुरू हो गई। भ्रष्टाचार, प्रशासनिक अक्षमता और जनसमस्याओं के विरोध में लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने ‘संपूर्ण क्रांति’ का आह्वान किया। यह आंदोलन केवल किसी सरकार के विरोध तक सीमित नहीं था, बल्कि समाज और शासन व्यवस्था में नैतिक परिवर्तन की माँग कर रहा था। हजारों छात्र, युवा, किसान और आम नागरिक इस आंदोलन से

सुनभरंग लगातार कमजोर हो रहा है। सोनमर्ग से जोजिला दरें तक ऐसा प्रतीत होता है मानो पूरी सिंध घाटी धूल और धुएं की एक घनी चादर में लिपट गई हो। पर्यटकों के वाहनों की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2000 के बाद इस क्षेत्र में ग्लेशियरों के पिघलने की गति लगभग दोगुनी हो गई है। वर्ष 1990 से 2020 के बीच इस पूरे क्षेत्र ने अपने ग्लेशियर क्षेत्रफल का लगभग 12 प्रतिशत हिस्सा खो दिया। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिकों का कहना है कि अब सर्दियों की भारी बर्फबारी का समय बदल रहा है। पहले जो हिमपात दिसंबर से फरवरी के बीच होता था, उसका बड़ा हिस्सा अब मार्च और अप्रैल में हो रहा है, जिससे ग्लेशियरों का प्राकृतिक

जुड़ गए। पूरे राज्य में लोकतांत्रिक अधिकारों और जनभागीदारी की नई चेतना दिखाई देने लगी। लेकिन परिस्थितियाँ तब गंभीर हो गई जब सरकार ने आंदोलन को लोकतांत्रिक संवाद के बजाय प्रशासनिक शक्ति से नियंत्रित करने का प्रयास किया। आंदोलनकारियों पर बल प्रयोग, गिरफ्तारियाँ और कोठर कार्रवाई की खबरों ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। अनेक संवेदनशील नागरिकों और बुद्धिजीवियों ने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध माना। फणीश्वरनाथ रेणु भी इस स्थिति से अत्यंत व्यथित हुए। उनके लिए यह केवल राजनीतिक विवाद नहीं था, बल्कि लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों से जुड़ा प्रश्न था। वे मानते थे कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता की आवाज को दबाने के बजाय उसे सुनना चाहिए। जब शासन जनता की असहमति को बलपूर्वक समाप्त करने का प्रयास करता है, तब लोकतंत्र की आत्मा आहत होती है। रेणु के सामने एक कठिन नैतिक प्रश्न खड़ा था। जिस सरकार से उन्हें आर्थिक वृत्ति मिल रही थी, उसी सरकार की कार्यशैली से उनका अंतःकरण असहमत था। वे चाहते तो चुप रह सकते थे। वे यह सोच सकते थे कि साहित्य और राजनीति अलग-अलग विषय हैं, लेकिन उनका स्वभाव ऐसा नहीं था। उनके लिए जीवन और साहित्य दोनों सत्य के पक्षधर थे। उन्होंने यह निर्णय लिया कि यदि उनके सिद्धांत और सत्कारी सहायता आमने-सामने खड़े हों, तो वे बिना किसी संकोच के अपने सिद्धांतों को चुनेंगे। उन्होंने बिहार के राज्यपाल को एक पत्र लिखकर निवेदन किया कि उन्हें दी जा रही आर्थिक वृत्ति तत्काल प्रभाव से बंद कर दी जाए। अपने पत्र में

प्रतिशत तक अधिक तेज हो जाती है। कश्मीर की सिंध नदी, जो आगे चलकर डेल्टा और अंततः सिंधु प्रणाली का प्रमुख हिस्सा बनती है, का उद्गम इन्हीं क्षेत्रों में है। सिंधु बेसिन के ऊपरी क्षेत्रों, विशेषकर लद्दाख, सोनमर्ग और अमरनाथ यात्रा मार्ग में अनियंत्रित पर्यटन ने पर्यावरण पर दबाव डाल दिया है। लद्दाख जैसे शीत मरुस्थल की वहन क्षमता अत्यंत सीमित है, लेकिन वहां प्रतिवर्ष लगभग 5.5 से 6 लाख पर्यटक पहुंच रहे हैं, जबकि वहां की स्थायी आबादी मात्र तीन लाख के आसपास है। पर्यटन के चरम मौसम में प्रतिदिन हजारों डीजल वाहन संवेदनशील क्षेत्रों तक पहुंचते हैं, जिससे न केवल ठोस कचरे और प्लास्टिक का संकट बढ़ा हुआ है, बल्कि

नक्सलवाद के बाद घुसपैठ पर निर्णायक प्रहार, अमित शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा के अगले चरण का बिगुल फूँका

देश को नक्सल आतंक की जकड़ से बाहर निकालने और जम्मू-कश्मीर तथा पूर्वोत्तर में आतंकवाद पर निर्णायक प्रहार के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा के अगले चरण का बिगुल फूंक दिया है। इस बार निशाने पर केवल घुसपैठ नहीं, बल्कि घुसपैठ के जरिये सीमावर्ती इलाकों में बदलता जनसंख्या संतुलन, तस्करी, मादक पदार्थों का जाल, कट्टरपंथ, ड्रोन खतरे, संगठित अपराध और सीमा पार से संचालित छद्म युद्ध की पूरी रणनीति है। अमित शाह ने स्पष्ट संकेत दिया है कि देश को घुसपैठिया मुक्त बनाने और सीमाओं को अपेध सुरक्षा कवच देने का व्यापक अभियान अब सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। अमित शाह का मानना है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में अस्वाभाविक जनसंख्या परिवर्तन केवल स्थानीय समस्या नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक स्थिरता और सामरिक संतुलन से जुड़ा हुआ किसी संस्था या सरकार से मिले, बल्कि आने वाला है जो व्यक्ति अपने चरित्र और अपने आचरण से अर्जित करता है।जिसने अपनेविवेक को बचाकर रखा, उसने सबसे बड़ी संपत्ति सुरक्षित रखी। रेणु का जीवन यह भी बताता है कि लोकतंत्र केवल संविधान की धाराओं से नहीं चलता, बल्कि उन लोगों से मजबूत होता है जो अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने का साहस रखते हैं।

का महत्वपूर्ण आधार बनाया गया। उनके शिलालेखों में केवल प्रशासनिक आदेश नहीं मिलते, बल्कि नैतिक जीवन, कर्णना, अहिंसा, सहिष्णुता और जनकल्याण का संदेश भी मिलता है। लेखक इन शिलालेखों का विश्लेषण करते हुए बताते हैं कि वे केवल ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं हैं, बल्कि उस समाज की सामाजिक चेतना के भी सशक्त प्रमाण हैं। भाषा और संस्कृति के अध्ययन में भी पुस्तक उल्लेखनीय कार्य करती है। अशोककालीन प्रजापति की विभिन्न बेलियों का विश्लेषण यह दर्शाता है कि भारत उस समय भाषाई विविधता से समृद्ध था। विभिन्न क्षेत्रों में प्रयुक्त भाषाई स्वरूपों का अध्ययन यह समझने में सहायता करता है कि प्रशासन जनता तक अपनी बात पहुँचाने के लिए स्थानीय भाषाओं का उपयोग करता था। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि शासन व्यवस्था केवल शाही दरबार तक सीमित नहीं थी, बल्कि आम जनता के साथ संवाद स्थापित करने का प्रयास करती थी। हालाँकि पुस्तक का शोधपरक स्वरूप इसकी सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन यही विशेषता कुछ स्थानों पर सामान्य पाठकों के लिए चुनौती भी बन जाती है। शिलालेखों, अभिलेखों, यूनानी स्रोतों और भाषाई विश्लेषण का विस्तृत विवरण कभी अन्यथा अवलोकन प्रतीत होता है। जून की पाठकों की इतिहास में विषय रचि नहीं है, उन्हें कुछ अध्याय अपेक्षाकृत बोझिल लग सकते हैं। फिर भी लेखक का उद्देश्य तथ्यों की प्रामाणिकता

वनाए रखना है और इसी कारण उन्होंने किसी भी ऐतिहासिक निष्कर्ष को पर्याप्त साक्ष्यों के साथ प्रस्तुत किया है। अनुवादक विभिन का योगदान भी उल्लेखनीय है। किसी भी शोधपरक पुस्तक का अनुवाद केवल भाषा परिवर्तन नहीं होता, बल्कि मूल भाव, ऐतिहासिक संदर्भ और वैचारिक गति के क्रमबद्ध प्रस्तुति के कारण भाषा का प्रवाह भी उल्लेखनीय है। अनेक स्थानों पर जहाँ मूल विषय अत्यंत तकनीकी है, वहाँ भी भाषा का संतुलन बनाए रखने की कोशिश स्पष्ट दिखाई देती है। यद्यपि कुछ स्थानों पर स्रोतों और तथ्यों की क्रमबद्ध प्रस्तुति के कारण भाषा का प्रवाह थोड़ा धीमा पड़ता है, फिर भी यह कमी पुस्तक की विद्वत्तापूर्ण गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करती। आज के समय में जब इतिहास को अक्सर केवल राजनीतिक घटनाओं तक सीमित कर दिया जाता है, ऐसी पुस्तकें इतिहास के व्यापक स्वरूप की याद दिलाती हैं। वे बताती हैं कि किसी भी सभ्यता को समझने के लिए उसके सामान्य नागरिकों के जीवन को समझना उतना ही आवश्यक है जितना उसके राजाओं और युद्धों को। मौर्यकाल की वास्तविक महानता केवल उसके विशाल साम्राज्य में नहीं थी, बल्कि उस सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक विविधता, आर्थिक सुदृढ़ता और मानवीय मूल्यों में थी, जिन्होंने भारतीय सभ्यता को नई दिशा प्रदान की।

जल स्रोतों पर भी दबाव पड़ रहा है। जिन क्षेत्रों में कभी प्राकृतिक झरनों का जल पूरे वर्ष उपलब्ध रहता था, वहां अब गर्मियों में पानी का संकट दिखाई देने लगा है। अमरनाथ यात्रा निस्संदेह भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न हिस्सा है, और सामरिक सुरक्षा के लिए आँल-वेदर कनेक्टिविटी सुरंगों भी राष्ट्र की प्राथमिकता हैं। लेकिन क्या हिमालय जैसे अत्यंत संवेदनशील और युवा पहाड़ की धारण क्षमता का आकलन किए बिना यह सब अनियंत्रित रूप से होना चाहिए? वैज्ञानिक अब सिंधु नदी के भविष्य को लेकर ‘पीक वाटर’ की अवधारणा की चर्चा कर रहे हैं। शुरुआती दशकों में तेजी से पिघलने के कारण नदी में जल प्रवाह बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जिससे बाढ़ की घटनाएं बढ़ेंगी। लेकिन जैसे-जैसे हिमनद पूरी तरह सिकुड़ जाएंगे, जल प्रवाह स्थायी रूप से घटने लगेगा। इसका सबसे अधिक प्रभाव सिंचाई, पेयजल और खाद्य सुरक्षा पर पड़ेगा। सिंधु बेसिन पहले ही विश्व के सर्वाधिक जल तनाव वाले नदी तंत्रों में शामिल है, और आगामी दशकों में यह संकट करोड़ों लोगों के अस्तित्व को दांव पर लगा सकता है। संयुक्त राष्ट्र ने इस संकट की गंभीरता को देखते हुए वर्ष 2025-2034 को ‘क्रायोस्फेरिक साईंसेज के लिए कार्रवाई की चर्चा कर रहे हैं। सिंधु के संरक्षण के लिए स्थानीय स्तर पर वैज्ञानिक आधार पर पर्यटन प्रबंधन, केवल भारत स्टेज-6 या इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रवेश की अनुमति, निर्माण मलवे का वैज्ञानिक निस्तारण और प्रत्येक संवेदनशील क्षेत्र की वहन क्षमता के अनुरूप आगंतुकों की सीमा तय करना आवश्यक है। सिंधु आज भी बह रही है, लेकिन उसकी धारा में भविष्य की एक मौन सिसकी और गंभीर चेतावनी भी बह रही है।

एकीकृत सुरक्षा तंत्र विकसित कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत की स्मार्ट सीमा की परिकल्पना आने वाले वर्षों में दुनिया की सबसे आधुनिक सीमा सुरक्षा व्यवस्था का रूप लेगी। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने नक्सलवाद, जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद और पूर्वोत्तर में हिंसा के खिलाफ उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। अब अगले तीन वर्षों में मादक पदार्थों के अवैध कारोबार पर भी निर्णायक प्रहार किया जाएगा। साथ ही ऐसा मजबूत सुरक्षा ढांचा तैयार किया जा रहा है जिससे देश पूरी तरह घुसपैठ मुक्त बने और

अमित शाह का मानना है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में अस्वाभाविक जनसंख्या परिवर्तन केवल स्थानीय अध्ययन अभियान के माध्यम से ही संभाला जा सकता है। अमित शाह ने स्पष्ट कहा कि सीमावर्ती इलाकों में अस्वाभाविक जनसंख्या परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण अवैध घुसपैठ है। इसी कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसंख्या अध्ययन अभियान प्रारंभ किया है, जिसके तहत जनसंख्या में हो रहे अस्वाभाविक बदलावों का अध्ययन किया जाएगा, उनके कारणों की पहचान होगी और भविष्य में ऐसे परिवर्तनों को रोकने के उपाय सुझाए जाएंगे। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि अस्वाभाविक कारणों से होने वाली जनसंख्या वृद्धि पर कठोरता से निगरानी संविधान किया जाएगा। गृह मंत्री ने निर्देश दिया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में जनसंख्या परिवर्तन से जुड़ी हर महत्वपूर्ण सूचना सबसे निकले स्तर से लेकर शीर्ष स्तर तक तत्काल पहुंचनी चाहिए, ताकि सीमित नहीं रहेगी। सरकार सीमा सुरक्षा बलों, राज्य सरकारों, जिला प्रशासन, केंद्र सरकार के संबंधित विभागों और सीमावर्ती क्षेत्रों के स्थानीय नागरिकों को साथ जोड़कर चार स्तरीय सुरक्षा तंत्र तैयार कर रही है। यही चतुष्कोणीय सुरक्षा व्यवस्था भविष्य में भारत की सीमाओं को अपेध बनाने का सबसे मजबूत आधार बनेगी। उन्होंने कहा कि सुरक्षित सीमा, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और सतर्क समाज मिलकर ही राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि विस्तार किया जा रहा है। भारत म्यांमार सीमा के सोलह सौ दस किलोमीटर लंबे हिस्से पर 31 हजार करोड़ रुपये की लागत से बाड़ लगाने का कार्य भी तेजी से चल रहा है। इसका उद्देश्य केवल घुसपैठ रोकना नहीं, बल्कि छद्म युद्ध, अवैध हथियारों की आवाजाही, मादक पदार्थों की तस्करी, संगठित अपराध और सीमा पार से संचालित बलों के भरोसे संभव नहीं है। इसके लिए स्थानीय समाज की भागीदारी, प्रशासनिक समन्यय और आधुनिक तकनीक का प्रभावी उपयोग अनिवार्य है। इसी सोच के तहत सरकार अलग थलग सीमा चौकियों

श्री अमित शाह के हरियाली लोकसभा प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में अहमदाबाद के निकट गोधावी गांव में 100 हेक्टेयर क्षेत्र में बनेगा गुजरात का सबसे बड़ा ‘महा वन कवच’

► **मियावाकी से एक कदम आगे : गुजरात का ‘वन कवच’ मॉडल श्री अमित शाह के ‘हरियाली लोकसभा’ विजन को देगा गति**

► **इस वर्ष वन विभाग द्वारा ‘वन कवच’ मॉडल के तहत पूरे राज्य में 1100 हेक्टेयर क्षेत्र में किए जाने वाले वृक्षारोपण में से 600 हेक्टेयर में बनने वाले ‘वन कवच’ केवल गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में ही विकसित किए जा रहे हैं**

► **प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देशभर में ‘एक पेड़ मां के नाम’ के जरिए वृक्षारोपण क्षेत्र में हो रही है क्रांति**

► **मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने नेतृत्व में गुजरात को और हरा-भरा बनाने के लिए वन महोत्सव जैसे विशेष अभियानों के जरिए चलाई जा रही है मुहिम**

► **केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह स्थानीय जलवायु के अनुकूल स्वदेशी वनस्पति प्रजातियों को दे रहे हैं प्रोत्साहन**

गांधीनगर : जाने-माने गुजराती कवि जीनाभाई देसाई ‘स्नेह रश्मि’ ने जापानी काव्य शैली ‘हाइकु’ को गुजराती साहित्य में प्रस्तुत किया, जो एक तीन पंक्तियों और सत्रह अक्षरों के एक विशिष्ट प्रारूप का अनुसरण करती है। इसके ठीक छह दशक बाद, गुजरात ने एक बार फिर वृक्षारोपण की जापानी पद्धति ‘मियावाकी वन वृक्षारोपण’ मॉडल को कुछ अलग और स्थानीय परिस्थिति के अनुरूप मौलिक स्वरूप में ‘वन कवच’ के रूप में अपनाया है।

हाल ही में, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने अपने संसदीय क्षेत्र में महत्वाकांक्षी ‘गांधीनगर हरियाली लोकसभा अभियान’ की शुरुआत की है। इस अभियान के हिस्से के रूप में, गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में 1.25 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। इनमें से लगभग 60 लाख पौधे वन विभाग द्वारा अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में ‘वन कवच’ मॉडल का उपयोग करके लगाए जाएंगे। गुजरात का यह मॉडल जापानी मियावाकी मॉडल का एक गुजराती रूप है। विशेष रूप से स्थानीय पर्यावरणीय परिस्थितियों के लिए डिज़ाइन किया गया यह मॉडल वैज्ञानिक तरीके से भूमि सुधार और जैव विविधता संरक्षण को जोड़कर खराब हो चुकी जमीन को स्वयं से विकसित होने वाले देसी पारिस्थितिकी तंत्र (इकोसिस्टम) में बदलने का प्रयास करता है।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देशभर में ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के जरिए वृक्षारोपण क्षेत्र में एक क्रांति हो रही है। गुजरात को और अधिक हरा-भरा बनाने के लिए वन महोत्सव जैसे विशेष अभियानों के माध्यम से एक मुहिम शुरू की गई है।



वन कवच की सफलता के बाद बढ़ा दायरा

गुजरात के वन एवं पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव श्री विनोद राव ने कहा, “श्री अमित शाह के गांधीनगर हरियाली लोकसभा प्रोजेक्ट के अंतर्गत अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में 600 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए कुल 82 ‘वन कवच’ विकसित किए जाएंगे। इनमें से अहमदाबाद के निकट स्थित गोधावी गांव में 100 हेक्टेयर क्षेत्र में गुजरात का सबसे बड़ा ‘महा वन कवच’ विकसित किया जा रहा है।”

वन विभाग ने 2023 में 100 हेक्टेयर क्षेत्र में सघन वृक्षारोपण के जरिए ‘वन कवच’ शुरू किया था। इस मॉडल को मिली सफलता के बाद वन विभाग ने वन कवच के तहत 2024-25 के दौरान इसका दायरा बढ़ाकर 200 हेक्टेयर और 2025-26 में 400 हेक्टेयर कर दिया।

2026 तक पूरे राज्य में इस मॉडल के तहत विकसित किया गया कुल क्षेत्र 600 हेक्टेयर तक पहुंच गया है।

गुजरात में वन कवच मॉडल का विस्तार

वन विभाग के प्रधान सचिव श्री विनोद राव ने आगे कहा, “वन कवच मॉडल की सफलता के आधार पर, वन विभाग अ 2026-27 के दौरान पूरे गुजरात में 500 नई वन कवच साइटें बनाएगा। इस वर्ष वन कवच पहल के तहत प्रस्तावित 1100 हेक्टेयर क्षेत्र के नए वृक्षारोपण में से आधे से अधिक यानी 600 हेक्टेयर केवल गांधीनगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में ही विकसित किए जाएंगे।”

वन कवच बनाम मियावाकी :
गुजरात तेजी से हरित आवरण बढ़ाने के बजाय दीर्घकालिक पारिस्थितिकी को क्यों चुन रहा है ?

मूल मियावाकी पद्धति जापान के

शंकुधारी पेड़ों की बहुतायत वाले जंगलों के लिए विकसित की गई थी, जिसमें प्रति वर्ग मीटर तीन से पांच पौधे लगाए जाते हैं। इस घनी रोपाई से पौधों के बीच सूर्य प्रकाश, पानी और पोषक तत्वों के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा होती है, जिससे केवल सबसे मजबूत पेड़ ही जीवित रह पाते हैं और तीन से पांच वर्षों में तेजी से जंगल का विकास होता है। सामान्य मियावाकी पौधरोपण में शुरुआत में प्रति हेक्टेयर करीब 50,000 पौधे हो सकते हैं, जो प्राकृतिक प्रतिस्पर्धा के कारण धीरे-धीरे कम हो जाते हैं।

हालाँकि, वन अधिकारियों के अनुसार, पारिस्थितिकीविदों ने पाया कि जापानी मॉडल का सीधा अनुकरण भारत की देसी वृक्ष प्रजातियों के लिए उचित नहीं हो सकता। हमारे कई स्वदेशी पेड़ों का फैलाव या आवरण (कैनोपी) तथा जड़ें

बहुत विशाल होती हैं, जो सीधी और



आड़ी दोनों दिशाओं में फैलती हैं। अत्यंत घनी रोपाई से जड़ों के बीच बहुत ही ज्यादा प्रतिस्पर्धा हो सकती है, जो उनके स्वस्थ विकास को सीमित कर देती है और वृक्षारोपण की दीर्घकालिक स्थिरता भी कम हो जाती है। इन कमियों को दूर करने के लिए, गुजरात वन विभाग ने ‘वन कवच’ मॉडल विकसित किया है, जो प्राकृतिक रूप से जंगल के पनपने के पारिस्थितिक सिद्धांतों को बनाए रखते हुए पेड़ों के बीच अधिक दूरी रखता है। इस मॉडल में प्रति वर्ग मीटर लगभग एक पेड़ लगाया जाता है, जो सुनिश्चित करता है कि बड़े फैलाव (आवरण) वाली प्रजातियों के बीच कम से कम एक मीटर की दूरी हो। यह अतिरिक्त जगह पेड़ों को पर्याप्त सूर्य प्रकाश, नमी और पोषक तत्व हासिल करने में मदद करती है, जिससे वे प्राकृतिक रूप से बहुस्तरीय जंगलों में बदल सकते हैं।

वन कवच मियावाकी पद्धति से इस प्रकार अलग है

अधिकारियों के अनुसार, यह मॉडल

है, जो प्राकृतिक जंगलों की रचना के साथ काफी हद तक मिलती-जुलती है। यह अलग-अलग स्तरों वाली वनस्पति वन्यजीवों के आश्रय स्थान की विविधता में सुधार करती है और पक्षियों, तितलियों, परागण करने वाले कीड़ों, सरीसृपों और स्तनधारी प्राणियों सहित मिट्टी के अर्नगित सूक्ष्मजीवों के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाती हैं।

वन कवच मॉडल स्वदेशी जैव विविधता पर जोर देता है

यह पहल स्वदेशी जैव विविधता पर विशेष जोर देती है। तेजी से विकसित होने वाली सीमित वनस्पति प्रजातियों पर निर्भर रहने के बजाय, वन विभाग ऐसे स्थानीय पेड़ लगा रहा है, जो हजारों वर्षों से गुजरात के वन्यजीवों के साथ विकसित हुए हैं। ये प्रजातियाँ प्राकृतिक रूप से स्थानीय जलवायु की परिस्थितियों के अनुकूल हैं, उन्हें बाहर से कम खाद या देखभाल की जरूरत पड़ती है। अपेक्षा है कि समय के साथ-साथ वे स्वयं से विकसित होने वाले जंगल पारिस्थितिक तंत्र के रूप में विकसित हो जाएंगी।

वन अधिकारियों ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य वन्यजीवों के आश्रयस्थान में सुधार करना, खराब जमीन को ठीक करना, कार्बन सोखने की क्षमता बढ़ाना, मिट्टी का स्वास्थ्य सुधारना, नमी बनाए रखना और पूरे क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ने की क्षमता (क्लाइमेट रेजिलिएन्स) को मजबूत करना है।

गुजरात की उपलब्धियों में जुड़ा एक और मोर पंख : बागवानी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए गुजरात को मिला सम्मान

► **नई दिल्ली में आयोजित 17वें एग्रीकल्चर लीडरशिप कॉन्क्लेव में गुजरात को प्रतिष्ठित ‘एग्रीकल्चर लीडरशिप अवॉर्ड–2026’ से सम्मानित किया गया**

► **केन्द्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के करकमलों से अवॉर्ड प्रदान किया गया, जिसे गुजरात सरकार की ओर से कृषि मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी ने ग्रहण किया**

कृषि मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी

► गुजरात को इससे पहले भी तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा राज्य के कृषि क्षेत्र में की गई नूतन पहलों के परिणामस्वरूप वर्ष 2009, 2014 और 2018 में ‘श्रेष्ठ कृषि राज्य’ का अवॉर्ड प्राप्त हो चुका है

► वर्ष 2008 में महान कृषि वैज्ञानिक डॉ. एम. स्वामीनाथन के मार्गदर्शन में प्रतिष्ठित ‘एग्रीकल्चर लीडरशिप अवॉर्ड’ की शुरुआत हुई थी

► राष्ट्रीय सम्मान राज्य के परिश्रमी किसानों और कृषि विभाग के कर्मयोगियों को समर्पित है



मार्गदर्शन में इस समूह द्वारा ‘एग्रीकल्चर लीडरशिप अवॉर्ड’ की शुरुआत की गई थी, जिसका 17वां संस्करण हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इस पुरस्कार की मूल्यांकन समिति के अध्यक्ष भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस पी. सदाशिवम हैं, जो इसकी पारदर्शिता व गरिमा को दर्शाता है।

पुरस्कार ग्रहण करने के बाद कृषि मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी ने कहा कि राज्य में बागवानी क्षेत्र में किए गए ‘एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप’ आज देश की कृषि अर्थव्यवस्था का एक प्रभावशाली मंच बन चुका है। वर्ष 2008 में महान कृषि वैज्ञानिक डॉ. एम. स्वामीनाथन के

गुजरात के लाखों परिश्रमी किसानों और कृषि विभाग की पूरी टीम का है। उन्होंने इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को गुजरात के अन्नदाताओं को समर्पित करते हुए राज्य के सभी किसानों, बागवानी क्षेत्र से जुड़े कर्मयोगियों तथा कृषि विभाग की पूरी टीम को शुभकामनाएं दीं।

कृषि मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी ने कहा कि राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात को वर्ष 2009 और 2014 में ‘श्रेष्ठ कृषि राज्य’ के रूप में परिणामस्वरूप गुजरात को यह सम्मान प्राप्त हुआ है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह सम्मान केवल सरकार का नहीं, बल्कि

हेल्थ कार्ड और टपक सिंचाई जैसी नूतन पहलों के माध्यम से 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में सर्वाधिक 9.9 प्रतिशत की ऐतिहासिक कृषि विकास दर हासिल की थी।

उन्होंने आगे कहा कि इसके बाद वर्ष 2018 में भी गुजरात को ‘श्रेष्ठ कृषि राज्य’ के रूप में तथा वर्ष 2019 में पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ‘एग्रीकल्चर लीडरशिप अवॉर्ड’ से सम्मानित किया गया था। अब सात वर्ष बाद एक बार फिर गुजरात को बागवानी क्षेत्र के लिए यह प्रतिष्ठित अवॉर्ड प्राप्त हुआ है। श्री वाघाणी ने जोड़ा कि यह अवॉर्ड राज्य के लिए केवल गर्व का विषय ही नहीं, बल्कि कृषि क्षेत्र में नई उपलब्धियाँ हासिल करने की प्रेरणा देने वाला एक महत्वपूर्ण मील का पथर भी है।

इस गौरवपूर्ण समारोह में केन्द्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, राजस्थान के राज्यपाल श्री हरिभाऊ किसनराव बागड़े, उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री श्री सूर्यप्रताप शाही तथा भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एवं ज्युरी अध्यक्ष जस्टिस पी. सदाशिवम सहित अनेक वरिष्ठ महानुभावों ने गुजरात की मॉडल कृषि नीतियों की मुक्तकंठ से सराहना की तथा यह पुरस्कार प्राप्त करने पर गुजरात सरकार और राज्य के किसानों को हार्दिक शुभकामनाएं दीं।

► **नई मनपाओं की सीमा में शामिल किए गए क्षेत्रों और ‘ट्रांजिशन फेज’ को ध्यान में रखते हुए नागरिक सुविधाओं से जुड़े 11 महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के लिए अगले पांच वर्षों तक भूमि निःशुल्क आवंटित की जाएगी**

► **मेहसाणा, नडियाद, आणंद, नवसारी, वापी, मोरबी, गांधीधाम, सुरेन्द्रनगर और पोरबंदर महानगर पालिकाओं को मिलेगा लाभ**

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य में नवगठित नौ महानगर पालिकाओं (मनपा) को मजबूत बनाकर नागरिकों को त्वरित और गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एक महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक निर्णय किया है।

मुख्यमंत्री ने राज्य की नगर पालिकाओं को इस प्रकार के लाभ प्रदान करने के लिए पहले किए गए निर्णय में अब इन 9 महानगर पालिकाओं का भी समावेश किया गया है।

इस निर्णय के अनुसार राज्य की वापी, मेहसाणा, पोरबंदर, मोरबी, गांधीधाम, नडियाद, आणंद, नवसारी और सुरेन्द्रनगर सहित कुल 9 नवगठित महानगर पालिकाओं को अगले पांच वर्षों तक सार्वजनिक हित से जुड़ी 11 विभिन्न आवश्यक नागरिक सुविधाएं विकसित करने के लिए आवश्यक सरकारी भूमि निःशुल्क आवंटित की जाएगी।

बता दें कि ये महानगर पालिकाएं पहले ‘अ’ श्रेणी की नगर पालिकाएं थीं, जिन्हें अपग्रेड करके महानगर पालिका का दर्जा दिया गया है और अभी इनका ‘ट्रांजिशन फेज’ यानी बदलाव का दौर चल रहा है। इतना ही नहीं, इन नई महानगर पालिकाओं की सीमा में भी एक बड़ा क्षेत्र शामिल किया गया है। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री ने जिला स्तर पर भूमि आवंटन की प्रक्रिया को और आसान बनाने का दृष्टिकोण अपनाया है, ताकि नई महानगर पालिकाओं में सर्वांगीण विकास के कार्य तेजी से हो सकें।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने नई महानगर पालिकाओं को नागरिक सुविधा के जिन



11 महत्वपूर्ण सार्वजनिक प्रोजेक्ट के लिए निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने का निर्णय किया है, उसमें नगर सेवा सदन (मनपा का कार्यालय भवन), फायर स्टेशन, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी), वाटर ट्रीटमेंट प्लांट (डब्ल्यूटीपी), भूमिगत गटर ड्रेनेज, पैंपिंग स्टेशन, जलापूर्ति प्रोजेक्ट (जलापूर्ति के कार्य), सॉलिड/लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट, स्टीम वाटर ड्रेनेज का कार्य (बरसाती पानी की निकासी के लिए), बालवाड़ी (आंगनवाड़ी) और टाउन हॉल, कम्प्युनिटी हॉल और कन्वेंशन सेंटर शामिल हैं।

मुख्यमंत्री के इस दूरगामी निर्णय के परिणामस्वरूप नई महानगर पालिकाओं के क्षेत्रों में फायर स्टेशन, एसटीपी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और सार्वजनिक उद्यान जैसी मूलभूत सुविधाओं का तेजी से निर्माण हो सकेगा तथा शहरी विकास के कार्यों में भी नई गति आएगी।

उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने सूरत के भटार में बाढ़ प्रभावितों को कैश डोल्स सहित सहायता का वितरण किया

► **भटार के आंबेडकरनगर, आजादनगर, इंदिरानगर तथा रसूलाबाद क्षेत्रों के 2000 परिवारों को आर्थिक सहायता का भुगतान**

► **भारी वर्षा के बाद पानी उतरते ही सूरत जिला प्रशासन द्वारा युद्ध स्तर पर राहत कार्य शुरू**

► **जिला कलेक्टर व मनपा आयुक्त की उपस्थिति में जिला प्रशासन द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में डोर-टू-डोर सर्वेक्षण कर हाथों-हाथ सहायता वितरण**

► **पुनर्वास एवं सामान्य जीवन की ओर लौटने की समग्र यात्रा में सरकार प्रभावित परिवारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी : उप मुख्यमंत्री**



गांधीनगर : उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने सूरत में भारी वर्षा तथा बाढ़ से प्रभावित भटार के आंबेडकरनगर, आजादनगर, इंदिरानगर और रसूलाबाद के दो हजार प्रभावित परिवारों को शुक्रवार को कैश डोल्स, घरेलू सामान, कपड़ा सहायता सहित प्रति परिवार 6800 रुपए की आर्थिक सहायता का वितरण किया।

श्री संघवी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के नागरिकों से स्वच्छता बनाए रखने और प्रशासन द्वारा किए जा रहे डोर-टू-डोर सर्वेक्षण में पूरा सहयोग देने का अनुरोध किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि कोई भी प्रभावित परिवार सहायता से वंचित

नहीं रहेगा और हर घर जाकर आर्थिक सहायता का भुगतान किया जाएगा।

उप मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि वर्षा से प्रभावित सूरत ने फिर एक बार अपने अदम्य साहस, धीरज तथा एकता का परिचय दिया है। मुश्किल परिस्थितियाँ होने के बावजूद लोगों ने हिंमत नहीं हारी है और वे सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ एक-दूसरे का सहारा बनकर साथ खड़े रहे हैं। जिन परिवारों, व्यापारियों तथा नागरिकों को माल-सामान नुकसान हुआ है तथा उनकी आजीविका कलेक्टर श्री तेजस परमार ने तत्काल सर्वेक्षण शुरू करने के निर्देश दिए। इसके तहत प्रांत अधिकारी (दक्षिण)

श्री वी. जे. भंडारी के मार्गदर्शन में मजरा क्षेत्र के प्रभावितों का सर्वेक्षण कर उन्हें घर लौटने का प्रयास न करें तथा बच्चों एवं पशुओं को रेल पटरियों से सुरक्षित दूरी पर रखें। स्पीड ट्रायल के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है।

परियोजना की मुख्य विशेषताएँ

पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल के अंतर्गत विकसित कटोसण रोड–बेचराजी–रणुज (63 किमी) रेल परियोजना देश में रेल अवसंरचना, औद्योगिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पथर साबित हुई है। यह परियोजना रेल मंत्रालय तथा बहुचराजी रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BRCL) के संयुक्त उपक्रम (PPP

उन्होंने कहा कि जन प्रतिनिधि, राज्य सरकार के अधिकारी और कर्मचारी हर मुश्किल स्थिति में प्रभावितों के साथ मजबूती से खड़े हैं। उन्होंने जोड़ा कि यह आर्थिक सहयोग केवल आज तक के लिए सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पुनर्वास एवं सामान्य जीवन की ओर लौटने की समग्र यात्रा में सरकार बाढ़ प्रभावित परिवारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी।

सूरत में मूसलाधार वर्षा के कारण उत्पन्न हुई स्थिति को ध्यान में रखते हुए जिला कलेक्टर श्री तेजस परमार ने तत्काल सर्वेक्षण शुरू करने के निर्देश दिए। इसके तहत प्रांत अधिकारी (दक्षिण)

पश्चिम रेलवे का अहमदाबाद मंडल रेल अवसंरचना के विकास की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने की ओर अग्रसर है। मंडल के अंतर्गत 63 किलोमीटर लंबे कटोसण रोड–रणुज रेलखंड पर रेल संस्था आयुक्त (सीआरएस) द्वारा संरक्षा निरीक्षण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। यह निरीक्षण इस रेलखंड पर यात्री रेल सेवाओं के शुभारंभ की दिशा में एक निर्णायक कदम है।



मॉडल) के अंतर्गत विकसित की गई, जिसमें G-RIDE, GIDC एवं MSIL की भी भागीदारी रही। इस परियोजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके माध्यम से भारत की पहली ऑटोमोबाइल विनिर्माण इकाई के लिए इन-प्लांट रेलवे साइडिंग विकसित की गई है, जिससे प्रथम एवं अंतिम मील (First and Last Mile) तक निर्बाध रेल संपर्क सुनिश्चित हुआ है। इससे ऑटोमोबाइल परिवहन अधिक तेज, सुरक्षित एवं किफायती बना है।

कटोसण रोड–बेचराजी–रणुज (63 किमी) गेज परिवर्तन परियोजना को वर्ष 2017 में स्वीकृति प्रदान की गई थी। लगभग 1000 करोड़ की लागत से यह परियोजना रेलवे एवं जी-राइटड संयुक्त उपक्रम के अंतर्गत विकसित की गई है, इस रेलखंड पर कुल 14 रेलवे स्टेशन विकसित किए गए हैं। परियोजना में 9 बड़े पुल, 100 छोटे पुल तथा 47 रोड अंडर ब्रिज (RUB/LHS) एवं 16 क्वे शामिल हैं।

कटोसण रोड–रणुज रेलखंड का प्रमुख स्टेशन बेचराजी गुजरात के मेहसाणा जिले में स्थित है, जिसे विश्वविख्यात श्री बहुहर माता मंदिर के प्रमुख प्रवेश द्वार के रूप में विकसित किया गया है। बहुहर माता मंदिर गुजरात के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है, जहाँ प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा और मंदिर के महत्व को देखते हुए तत्कालीन महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने गायकवाड़ बडौदा रेलवे (GBR) का विस्तार बेचराजी तक कराया था।

क्षेत्र के लिए नई रेल कनेक्टिविटी

लंबे समय तक बेचराजी क्षेत्र रेल संपर्क से वंचित रहा, जिसके कारण श्रद्धालुओं, स्थानीय नागरिकों एवं औद्योगिक इकायों को मुख्यतः सड़क मार्ग पर निर्भर रहना पड़ता था। धार्मिक पर्यटन, औद्योगिक विकास तथा बेहतर परिवहन सुविधाओं की बढ़ती आवश्यकता को देखते हुए भारतीय रेल की इस क्षेत्र को आधुनिक रेल नेटवर्क से जोड़ने की योजना साकार होगी।

तीन दिवसीय सीआरएस निरीक्षण

तीन दिवसीय सीआरएस निरीक्षण के दौरान प्रथम दिन कटोसण रोड से बेचराजी, दूसरे दिन बेचराजी से चाणसमा निरीक्षण किया गया तथा तीसरे दिन चाणसमा से

रणुज तक रेलखंड का निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण पूर्ण होने के उपरांत रेल संस्था आयुक्त द्वारा आवश्यक सुधार एवं कमियों के संबंध में सुझाव दिए जाएंगे। सभी आवश्यक कार्य पूर्ण होने तथा संरक्षा स्वीकृति प्राप्त होने के बाद इस रेलखंड पर यात्री रेल सेवाएं प्रारंभ करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। रेलवे का प्रयास है कि सभी औपचारिकताएं शीघ्र पूर्ण कर इस रेलखंड पर यात्री ट्रेनों का संचालन जल्द शुरू किया जाए।

क्षेत्रीय विकास को मिलेगा नया आयाम

इस रेलखंड के चालू होने से मेहसाणा एवं पाटण जिलों के प्रमुख केंद्र जैसे बेचराजी, खांभेल एवं चाणसमा बेहतर रेल संपर्क से जुड़ जाएंगे। इससे स्थानीय नागरिकों, विद्यार्थियों, नौकरपेशा लोगों एवं व्यापारियों को किफायती, सुरक्षित एवं सुविधाजनक परिवहन उपलब्ध होगा। साथ ही, विश्व प्रसिद्ध बहुहर माता मंदिर आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की यात्रा अधिक सुगम बनेगी। यह रेल परियोजना क्षेत्र की कृषि, लघु उद्योगों, व्यापार एवं स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई गति प्रदान करेगी। इसके माध्यम से रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक विकास को बल मिलेगा तथा पर्यावरण-अनुकूल, सतत एवं तेज रेल संपर्क सुनिश्चित होगा। बेहतर परिवहन सुविधा से दैनिक यात्रियों, प्रथम दिन कटोसण रोड से बेचराजी, दूसरे दिन बेचराजी से चाणसमा निरीक्षण किया गया तथा तीसरे दिन चाणसमा से

गुजरात की उपलब्धियों में जुड़ा एक और मोर पंख : बागवानी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए गुजरात को मिला सम्मान

► नई दिल्ली में आयोजित 17वें एग्रीकल्चर लीडरशिप कॉन्क्लेव में गुजरात को प्रतिष्ठित ‘एग्रीकल्चर लीडरशिप अवॉर्ड-2026’ से सम्मानित किया गया

► केन्द्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के करकमलों से अवॉर्ड प्रदान किया गया, जिसे गुजरात सरकार की ओर से कृषि मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी ने ग्रहण किया

कृषि मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी

► गुजरात को इससे पहले भी तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा राज्य के कृषि क्षेत्र में की गई नूतन पहलों के परिणामस्वरूप वर्ष 2009, 2014 और 2018 में ‘श्रेष्ठ कृषि राज्य’ का अवॉर्ड प्राप्त हो चुका है

► वर्ष 2008 में महान कृषि वैज्ञानिक डॉ. एम. स्वामीनाथन के मार्गदर्शन में प्रतिष्ठित ‘एग्रीकल्चर लीडरशिप अवॉर्ड’ की शुरुआत हुई थी

► राष्ट्रीय सम्मान राज्य के परिश्रमी किसानों और कृषि विभाग के कर्मयोगियों को समर्पित है

गांधीनगर : हाल ही में गुजरात की उपलब्धियों में एक और मोर पंख जुड़ा है। नई दिल्ली में आयोजित ‘17वें एग्रीकल्चर लीडरशिप कॉन्क्लेव-2026’ अंतर्गत आयोजित प्रतिष्ठित पुरस्कार समारोह में गुजरात को बागवानी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राष्ट्रीय स्तर के ‘एग्रीकल्चर लीडरशिप अवॉर्ड-2026’ से सम्मानित किया गया।

इस समारोह में केन्द्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह तथा राजस्थान के राज्यपाल श्री हरिभाउ किसनराव बागड़े के करकमलों से यह अवॉर्ड प्रदान किया गया। गुजरात की ओर से यह सम्मान कृषि मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी ने ग्रहण किया।

उल्लेखनीय है कि भारत के कृषि क्षेत्र में नीति-निर्माताओं, कृषि वैज्ञानिकों और किसानों के बीच संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से वर्ष 1998 में शुरू हुआ ‘एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप’ आज देश की कृषि अर्थव्यवस्था का एक प्रभावशाली मंच बन चुका है। वर्ष 2008 में महान कृषि वैज्ञानिक डॉ. एम. स्वामीनाथन के



मार्गदर्शन में इस समूह द्वारा 'एग्रीकल्चर लीडरशिप अवॉर्ड' की शुरुआत की गई थी, जिसका 17वां संस्करण हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इस पुरस्कार की मूल्यांकन समिति के अध्यक्ष भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस पी. सदाशिवम हैं, जो इसकी पारदर्शिता व गरिमा को दर्शाता है। पुरस्कार ग्रहण करने के बाद कृषि

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी तथा मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के राष्ट्रीय राजमार्गों के कार्यों की व्यापक समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की

► मुख्यमंत्री ने पालनपुर—सामाखियाळी मार्ग विस्तार कार्यों में तेजी लाने का अनुरोध किया

► अहमदाबाद—धोलेरा एक्सप्रेस-वे को भावनगर तक विस्तारित करने का कार्य अगले तीन महीनों में शुरू किया जाएगा

► केंद्रीय मंत्री ने राज्य सरकार से सेंट्रल रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड से राज्य के राष्ट्रीय राजमार्गों के कार्यों के लिए फंड प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया

► डीआरपी तैयार की प्रक्रिया प्रगति पर होने के दौरान सड़क अलाइनमेंट में आने वाली भूमि के अधिग्रहण को सरल बनाने के लिए गैर-कृषि अनुमति संबंधी कार्यवाही को 60 दिनों के लिए स्थगित करने का गुजरात मॉडल देश के लिए उदाहरण

► सड़क विस्तार के अलाइनमेंट में आने वाले वृक्षों को उसी सड़क पर अन्य स्थान पर ट्रांसप्लांट कर सड़क विस्तार सुनिश्चित किया जाए



राष्ट्रीय राजमार्ग -48 के सिक्स लेन कार्य, मोरबी—सामाखियाळी मार्ग के सामाखियाळी—माठिया सेक्शन के कार्य, राजकोट—गोंडल—जेतपुर मार्ग, अहमदाबाद—वडोदरा एक्सप्रेस-वे, अहमदाबाद—गोधरा—इंदौर मार्ग तथा जामनगर—अमृतसर एक्सप्रेस-वे, पालनपुर—सामाखियाळी कॉरिडोर और अहमदाबाद—शामलाजी सिक्स लेन प्रोजेक्ट्स की जानकारी दी गई।

राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग ऑथोरिटी अंतर्गत जिन प्रोजेक्ट्स का कार्य चल रहा है, उनकी विस्तृत समीक्षा मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के साथ करते हुए केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कहा कि अहमदाबाद—धोलेरा एक्सप्रेस-वे को

भावनगर तक विस्तारित करने का कार्य अगले तीन महीनों में प्रारंभ किया जाएगा।

इतना ही नहीं; उन्होंने सेंट्रल रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड से राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग के कार्यों के लिए फंड प्राप्त करने संबंधी प्रस्ताव शीघ्र केंद्रीय मंत्रालय को भेजने का भी अनुरोध किया।

केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी ने कहा कि सड़कों की डीआरपी तैयार करने का कामकाज प्रगति पर होने के दौरान सड़क अलाइनमेंट में आने वाली भूमि के अधिग्रहण को सरल बनाने के लिए गैर-कृषि अनुमति संबंधी कार्रवाई को 60 दिनों के लिए स्थगित करने का जो मॉडल गुजरात ने अपनाया है, उसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री को बधाई देते हुए कहा

चुड़ा एवं राणपुर रेलवे स्टेशनों पर आधुनिक ऑटोमैटिक फायर डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम (AFDAS) का सफल कमीशनिंग

यात्रियों की सुरक्षा एवं रेलवे परिसंपत्तियों की संरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल ने सुरक्षा अवसंरचना को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा के मार्गदर्शन तथा वरिष्ठ मंडल दूरसंचार एवं सिग्नल इंजीनियर (Sr. DSFE) श्री एच. एस. आर्या के नेतृत्व एवं देखरेख में सुरेन्द्रनगर—बोटाद रेलखंड के चुड़ा एवं राणपुर रेलवे स्टेशनों पर ऑटोमैटिक फायर डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम (AFDAS) का कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण कर इसे कमीशन कर दिया गया है।



आग अथवा धुएँ की प्रारंभिक अवस्था में ही स्वतः पहचान कर तत्काल अलार्म सक्रिय करती है, जिससे समय रहते आवश्यक सुरक्षा एवं बचाव संबंधी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकती है। इस आधुनिक प्रणाली में स्मोक डिटेक्टर, हीट डिटेक्टर, फ्लेम डिटेक्टर, गैस

सेंसर, मैनुअल कॉल प्वाइंट, मॉनिटर मॉड्यूल, इनपुट-आउटपुट मॉड्यूल, लूप साउंडर तथा पावर सप्लाई यूनिट जैसी उन्नत सुरक्षा सुविधाएँ स्थापित की गई हैं। इन उपकरणों के माध्यम से किसी भी संभावित अग्नि दुर्घटना का प्रारंभिक स्तर पर ही पता लगाकर

त्वरित चेतावनी प्रदान की जा सकेगी। AFDAS प्रणाली के स्थापित होने से रेलवे परिसरों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था और अधिक प्रभावी होगी। आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित होने के साथ-साथ यात्रियों, रेलवे कर्मचारियों एवं रेलवे परिसंपत्तियों की सुरक्षा को नई मजबूती मिलेगी। यह प्रणाली सुरक्षित, संरक्षित एवं निर्बाध रेल संचालन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

भावनगर मंडल आधुनिक तकनीकों के समावेश के माध्यम से रेलवे स्टेशनों पर विश्वसनीय एवं उन्नत सुरक्षा व्यवस्था विकसित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। चूड़ा एवं राणपुर रेलवे स्टेशनों पर AFDAS प्रणाली का सफल कमीशनिंग पश्चिम रेलवे की सुरक्षित, आधुनिक एवं यात्री-केंद्रित रेल सेवाएँ उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है।

यात्रियों की सुरक्षित एवं निर्बाध रेल यात्रा सुनिश्चित करने तथा मानसून के दौरान संरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) श्री दिनेश वर्मा ने दिनांक 09 जुलाई को धोला—पीपावाव रेलखंड का विंडो ट्रेलिंग संरक्षा निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीआरएम ने मानसून के दृष्टिगत रेलखंड के संभावित एवं संवेदनशील जलभराव (Water Logging) वाले स्थानों का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को ऐसे स्थानों पर निरंतर निगरानी बनाए रखने, समयबद्ध निरीक्षण करने तथा आवश्यक एहतियाती उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि किसी भी प्रकार की परिचालन संबंधी बाधा उत्पन्न न हो और रेल यातायात सुरक्षित एवं सुचारु रूप से संचालित होता रहे। इस अवसर पर डीआरएम ने सावरकुंडला स्टेशन का भी निरीक्षण किया। उन्होंने



स्टेशन पर प्रगति पर चल रहे विभिन्न विकास एवं निर्माण कार्यों का अवलोकन करते हुए उनकी गुणवत्ता एवं प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर उच्च गुणवत्ता मानकों के अनुरूप

पूर्ण करने के निर्देश दिए, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा सकें। निरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत डीआरएम ने पीपावाव साईडिंग का भी दौरा किया तथा पोर्ट अधिकारियों के साथ विस्तृत

बेचराजी के विधायक श्री सुखाजी ठाकोर ने DRM एवं CRS के साथ की बैठक, खारे पानी की समस्या के शीघ्र समाधान का आश्वासन, नागरिकों ने जताई खुशी

पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल के अंतर्गत कटोसण रोड—राणुज रेलखंड पर रेलवे संरक्षा आयुक्त (सीआरएस) श्री ई. श्रीनिवास द्वारा किए जा रहे संरक्षा निरीक्षण के दौरान बेचराजी के विधायक श्री सुखाजी सोमाजी ठाकोर ने मंडल रेल प्रबंधक, अहमदाबाद श्री वेद प्रकाश से मुलाकात की। संरक्षा निरीक्षण के दूसरे दिन बेचराजी रेलवे स्टेशन पर विधायक श्री सुखाजी सोमाजी ठाकोर ने रेलवे संरक्षा आयुक्त (सीआरएस) श्री ई. श्रीनिवास एवं मंडल रेल प्रबंधक श्री वेद प्रकाश के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं नागरिकों की उपस्थिति में चर्चा की। इस दौरान क्षेत्रवासियों ने कटोसण रोड—राणुज रेलखंड पर यात्री रेल सेवाएँ प्रारंभ होने की दिशा में हो रही प्रगति पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रधामंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव के प्रति आभार प्रकट किया। स्थानीय नागरिकों ने विधायक व्यक्त किया कि रेलवे संरक्षा आयुक्त की स्वीकृति के उपरांत इस रेलखंड पर यात्री रेल सेवाएँ प्रारंभ होने से देशभर से आने वाले श्रद्धालुओं को माँ बहुराजी मंदिर तक अधिक सुगम, सुरक्षित



एवं सुविधाजनक रेल संपर्क उपलब्ध होगा। साथ ही क्षेत्र के व्यापार, पर्यटन तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलेगी। विधायक श्री सुखाजी सोमाजी ठाकोर ने भी इस परियोजना को क्षेत्र के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए पश्चिम रेलवे द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। मंडल रेल प्रबंधक श्री वेद प्रकाश द्वारा बेचराजी रेलवे स्टेशन तथा रेलवे कॉलोनी की निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान विधायक श्री सुखाजी सोमाजी ठाकोर ने स्टेशन एवं रेलवे कॉलोनी में खारे पानी की समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने बताया कि इस समस्या के कारण रेल यात्रियों, रेलवे कर्मचारियों तथा उनके परिवारों को दैनिक उपयोग में कठिनाइयों का सामना करना पड़

रहा है। विधायक श्री ठाकोर ने स्थानीय नगरपालिका के साथ समन्वय स्थापित कर समस्या के शीघ्र समाधान हेतु आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया। मंडल रेल प्रबंधक श्री वेद प्रकाश ने इस समस्या का गंभीरता से संज्ञान लेते हुए आश्वासन दिया कि इसके समाधान के लिए स्थानीय नगरपालिका तथा स्थिति विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि रेलवे कर्मचारियों एवं उनके परिवारों को बेहतर मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराना मंडल प्रशासन की प्राथमिकता है तथा समस्या के शीघ्र एवं प्रभावी निराकरण के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे। निरीक्षण के दौरान श्री वेद प्रकाश ने रेलवे कॉलोनी में उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं का भी जायजा लिया। इसके उपरांत रेलवे कॉलोनी परिसर में रेलवे संरक्षा आयुक्त श्री ई. श्रीनिवास एवं मंडल रेल प्रबंधक श्री वेद प्रकाश द्वारा वृक्षारोपण किया गया।

साबरमती में सक्रिय रेलवे ट्रैक के ऊपर अहमदाबाद—मुंबई हाई स्पीड रेल परियोजना के 1,600 मीट्रिक टन वजनी प्रीकास्ट आरसीसी पोर्टल बीम का मात्र 3 घंटे में सफल प्रक्षेपण

अहमदाबाद—मुंबई हाई स्पीड रेल परियोजना के अंतर्गत साबरमती में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की गई है। पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल क्षेत्र के साबरमती में सक्रिय रेलवे मेनलाइन के ऊपर अत्यंत जटिल एवं उच्च स्तरीय इंजीनियरिंग कार्य को सफलतापूर्वक अंजाम देते हुए 1,600 मीट्रिक टन वजनी विशाल प्रीकास्ट आरसीसी (RCC) पोर्टल बीम का मात्र 3 घंटे के निर्धारित ट्रैफिक एवं पावर ब्लांक के दौरान सफल प्रक्षेपण (Launching) किया गया। यह उपलब्धि भारतीय रेलवे के बुनियादी ढांचा निर्माण में तकनीकी उत्कृष्टता, सटीक योजना और सुरक्षित निष्पादन का उत्कृष्ट उदाहरण है।

ऑपरेशन की मुख्य विशेषताएं: इस चुनौतीपूर्ण कार्य को बेहद सटीकता के साथ संपन्न किया गया। अभूतपूर्व सटीकता: साबरमती में सक्रिय रेलवे मेनलाइन के ऊपर 34.5 मीटर x 5.5 मीटर



x 4.5 मीटर के विशाल प्रीकास्ट पोर्टल बीम (वजन: 1,600 मीट्रिक

टन) को मात्र 3 घंटे के सीमित 'ट्रैफिक और पावर ब्लांक' के

दौरान स्थापित किया गया। आधुनिक तकनीक: इस भारी-भरकम कार्य को सुगम बनाने के लिए 2,200-टन की क्षमता वाले अत्यधुनिक 'क्रॉलर क्रेन' (Crawler Crane) का उपयोग किया गया। शून्य व्यवधान (Zero Disruption): पूरी प्रक्रिया अत्यंत सुरक्षित तरीके से संपन्न हुई। इस दौरान 'जीरो इंसिडेंट' (कोई दुर्घटना नहीं) सुनिश्चित किया गया और सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि आम यात्री ट्रेन सेवाओं में कोई

व्यवधान नहीं आया। समयबद्ध बहाली: ऑपरेशन के तुरंत बाद रेलवे ट्रैक और ओवरहेड इन्फ्रामेंट (OHE) को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी सुरक्षा और 'परफेक्ट एलाइनमेंट' के साथ बहाल कर दिया गया। इंजीनियरिंग कौशल का प्रमाण इस उपलब्धि पर वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा, "यह रेलवे इंजीनियरिंग कौशल और सुरक्षा मानकों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। सक्रिय रेलवे लाइनों के ऊपर इतने भारी वजन वाले बीम को बिना किसी बाधा के स्थापित करना एक बड़ी चुनौती थी, जिसे हमारी टीम ने असाधारण योजना और सटीकता के साथ पूरा किया है।" यह मील का पत्थर भारतीय रेल की तकनीकी दक्षता और परिचालन उत्कृष्टता को दर्शाता है, जो भविष्य की सभी बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए एक नया मानक स्थापित करता है।